आर. नारायणन

बनाम

एस. सेम्मलाई और अन्य

6 सितंबर, 1979

[एस. मुर्तजा फजल अली, पी. एस. कैलासम और ए. पी. सेन, जे.जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951-पुनर्कथन-अदालत द्वारा कब आदेश दिया जा सकता है।

राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी, कुछ अन्य लोगों के बीच, उम्मीदवार थे जिसमें अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया कि अपीलकर्ता का चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 (1) (घ) (ііі) और (іv) के तहत अमान्य था। इस आधार पर की वोटों की गिनती में कई त्रुटियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप वोटों की संख्या को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया या गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया और पुनः गिनती के आदेश के लिए प्रार्थना की गई क्योंकि जिस अंतर से अपीलार्थी सफल हुआ, वह बेहद कम था और लगभग नौ वोटों पर आ गया था। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि उन्हें धारा 101 अधिनियम के तहत निर्वाचित घोषित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने वोटों की फिर से गिनती का आदेश दिया और फिर से गिनती होने के बाद विधिवत निर्वाचित अधिनियम की धारा 101 के तहत जवाब दिया।

अपील की अनुमति

अभिनिर्धारित किया: यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पुनः गिनती का आदेश दिया जाना चाहिए था। [586 सी]

- 1. केवल त्रुटि होने की संभावना पर पुनर्मतगणना की राहत स्वीकार नहीं की जा सकती। चुनाव याचिका में आरोप न केवल स्पष्ट रूप से लगाये जाने चाहिए बल्कि ठोस सबूतों से साबित भी होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी ने गलत छँटाई व काेइ विशिष्ट उदाहरण स्थापित नहीं किया है और दलीलों और साक्ष्यों में लगाए गए आरोप सामान्य थे। फिर भी इसने एसे अपर्याप्त और कमजोर सबूतों पर प्रतिवादी के मामले को स्वीकार कर लिया। [578 एफ-जी]
- 2. वह संकीर्ण अंतर जिसके द्वारा एक उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया है, हालांकि एक महत्वपूर्ण कारक, जो अपने आप में मतों की गिनती को दूषित नहीं करेगा या उचित नहीं ठहराएगा न्यायालय द्वारा पुनर्गणना आदेश। [579 ई]

तत्काल मामले में चुनाव का आक्षेप करने वाले प्रतिवादी द्वारा लिए गए आधार अस्पष्ट थे। उनके द्वारा दोबारा गिनती का कोई मामला नहीं बनाया गया था। [580 बी] 3. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अदालत को पुनः गिनती का आदेश देना उचित होगा। मतपत्र केवल वहाँ होते हैं जहाँ (1) चुनाव याचिका में पर्याप्त राज्य होता है। उन सभी भौतिक तथ्यों का उल्लेख करना जिन पर अनियमितता या गिनती में अवैधता स्थापित की जाती है, (2) इस तरह के साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रथम दृष्ट्या स्थापित हैं, जो यह विश्वास करने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करते हैं कि गिनती में गलती हुई है और (3) याचिका पर सुनवाई करने वाला न्यायालय प्रथम है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का आदेश बनाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है - विवाद का निर्णय करना और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करना।

भाबी बनाम शीओ गोविंद और अन्य, [1975] सप. एससीआर 202; अनुसरण किया गया। राम सेवक जादव बनाम हुसैन कामिल किदवई और अन्य।, [1964] 6 एस.सी.आर. 238; डॉ. जगजीत सिंह बनाम ज्ञानी कर्तार सिंह, ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 723; जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम कृष्ण बिहारी और अन्य।, [1970] 1 एससीआर 852; बलदेव सिंह बनाम तेजा सिंह स्वा तंतर और अन्य [1975] 3 एससीआर 381; राम औतार सिंह भदौरिया बनाम राम गोपाल सिंह और अन्य, [1976] 1 एस. सी. आर. 191; बेलिराम भालैक बनाम जय बिहारीलाल खाची और अन्य, [1975] 4 एस.सी.सी. 417; चंदा सिंह बनाम चौधरी शिवराम वर्मा, (सी.ए. नं. 1185 1973 का निर्णय 20-12-1974); संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 524/1978

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका संख्या 7/77 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27-02-1978 से उत्पन्न आर.पी.अधिनियम, 1951 के अनुच्छेद 116-ए के तहत अपील।

और

सिविल अपील सं. 588/1978

निर्णय और दिनांकित आदेश से विशेष अनुमित द्वारा अपील 15-02-78 मद्रास उच्च न्यायालय की अभियोग याचिका क्रमांकित लेकिन डी. संख्या के साथ 12962/77

ए.के. सेन, के. परासरन, पी.एन. रामलिंगम, आर. श्रीनिवासन और अपीलार्थी के लिए ए.टी.एम. संपत।

वाई. एस. चिताले, टी. एन. सी. श्रीनिवास वर्दाचार्य, के. जयराम और के. राम क्मार, सीए 524/78 में प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

फज़ल अली जे. आर नारायण द्वारा सिविल अपील सं. 1978 की 524 दायर की गई है। जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी थे और संक्षेप में अपीलार्थी के रूप में संदर्भित किया जाएगा। 1978 की सिविल अपील सं. 588 अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय से विशेष अनुमित प्राप्त करने के बाद दायर की गई है और यह उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से के खिलाफ निर्देशित है जिसने अपीलार्थी द्वारा दोषारोपण याचिका पर

विचार करने से इंकार कर दिया था। संक्षिप्तता के प्रयोजन के लिए से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिकाकर्ता को इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दोनों ने 11-05-1977 को ह्ए चुनाव में भाग लिया। अपीलार्थी बछड़े और गाय के प्रतीक के साथ कांग्रेस का उम्मीदवार था, जबिक प्रतिवादी को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार के रूप में आगे रखा गया था और उसने "दो पत्तियां" के प्रतीक के साथ चुनाव लड़ा था। कुल 14 उम्मीदवार एेसे थे जिनका नामांकन वैध पाया गया लेकिन उनमें से 7 ने नाम वापस ले लिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता और प्रतिवादी 1 ता 6 च्नाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में मैदान में रहे। प्रतिवादी ने तमिल के 85 तारामंगलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपीलकर्ता के चुनाव की घोषणा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 81 और 84 के तहत उच्च न्यायालय में एक च्नाव याचिका दायर की। अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iii) और (iv) के तहत नाड् विधान सभा शून्य थी और आगे प्रार्थना की कि उन्हें अधिनियम की धारा 101 के तहत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाए। अन्य उम्मीदवार जो मैदान में थे वे च्नाव हार गये और निर्वाचित नहीं हो सके।

प्रत्यर्थी के मामले का मुख्य आधार यह था कि वोटों की गिनती में कई त्रुटियों थी जिसके परिणामस्वरूप कई वोट गलत तरीके से खारिज कर दिये गये या गलत तरीके से स्वीकार कर लिये गये। यह भी आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची गलत थी क्योंकि इसमें ऐस कई लोगों के नाम थे जो पहले ही मर च्के थे और जिन्हें अपना वोट डालना चाहिए था। प्रतिवादी द्वारा मांगी गयी म्ख्य राहत यह थी कि प्नर्मतगणना का आदेश दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि जिस अंतर से अपीलकर्ता सफल हुआ वह बेहद कम था और केल 19 वोट थे और यदि डाक मतपत्रों को शामिल किया जाए तो अंतर केवल 9 वोटों का होगा। वोटों की गिनती में गड़बड़ी को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए। अपीलकर्ता ने अपनी च्नाव याचिका में प्रतिवादी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों से इंकार किया और अपना लिखित बयान दाखिल करने के बाद इस आधार पर दोषारोपण के लिए एक याचिका की मांग की कि कई व्यक्तियों ने अपीलकर्ता (एसआईसी) के रूप प्रतिरूपण किया था जिसके परिणास्वरूप प्रतिवादी को गलत वोटों की संख्या अन्यथा अंतर बड़ा हो जाता। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि दोषारोपण की याचिका समयबाधित थी और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने दोषारोपण याचिका को खारिज कर दिया, जो कि 1978 की सिविल अपील संख्या 588 का विषय है। इस मामले में हम जो विचार करते है, उसमें वैधता के संबंध में कोई भी फैसला देना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। दोषारोपण याचिका खारिज करने का न्यायाधीश का आदेश।

वोटों की गिनती 14-06-1977 को सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल, मेहूर में हुई । शुरूआती गिनती सुबह 11 बजे शुरू हुई और 15 जून, 1977 को सुबह 3 बजे खत्म हुई। बताया जाता है कि गिनती तीन राउंड में की गई थी। गिनती खत्म होने के बाद प्रतिवादी ने इस आधार पर पुनर्मतगणना के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष आवेदन दायर किया कि कर्मचारियों की कमी और जिन टेबलों पर वोटों की गिनती की गई, रोशनी की कमी और इस तथ्य के कारण गिनती में कई त्रुटियां हुई। मतगणना कर्मचारी बिल्कुल थक कर चूर हो गये। रिटर्निंग आफिसर ने प्रतिवादी की पुनर्मतगणना की प्रार्थना को खारिज कर दिया और परिणामों की घोषणा के साथ आगे बढ़ गए।

अपीलार्थी का मामला यह था कि जिस हॉल में गिनती हुई थी उसमें पर्याप्त जगह थी और गिनती के समय सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंट मौजूद थे और जब गिनती वास्तव में की गई तो उनमें से किसी ने भी कोई आपित नहीं जताई। यह भी आरोप लगाया गया कि हॉल में पर्याप्त संख्या में ट्यूब लाइटें थी और उनसे गिनती में कोई गलती होने का कोई सवाल ही नहीं था। सभी मतपत्रों को प्रतिवादी के गणना एजेंटों सहित गणना एजेंटों की उपस्थिति में खोला गया और उस डिब्बे में रखा गया जिसमें संबंधित उम्मीदवारों के मतपत्र थे। प्रत्यर्थी का यह आरोप कि जब गिनती चल रही थी तो पेरुमल सहित कुछ बाहरी लोगों को भी हाॅल में

प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता ने इसका भी खण्डन किया।

विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों से साक्ष्य लेने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए अधिकांश आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन इस आरोप को स्वीकार कर लिया कि दो तालबे पर कुछ गिनती की त्रुटियां थी, रोशनी की कमी थी और गिनती कर्मचारी पूरी तरह से थक चुके थे और तीसरे दौर के दौरान थक गए थे।

इसिलए, हम यह दिखाने के लिए कि क्या आरोप स्पष्ट और विशिष्ट थे, प्रतिवादी द्वारा उसकी चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों का संक्षेप में सारांश देंगे।

चुनाव याचिका के पैरा 7 में प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती ठीक से या उचित देखभाल और परिश्रम के साथ नहीं की गई थी, बिल्क अक्सर बहुत शोर, रूकवाट और अशांति के बीच जल्दबाजी में की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि हॉल में रोशनी खराब और अपर्याप्त थी और त्रुटि की बहुत गुंजाइश थी और पूरे दौर में खासकर तीसरे राउंड की गिनती में कई त्रुटियां हुई। यह भी शिकायत की गई कि केवल 24 टेबले थीं और गिनती तीन राउंड में की गई थी और तीसरा राउंड आधी रात के करीब हुआ और सुबह 3 बजे तक चला। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त वोटों के अंतर के कारण अपीलकर्ता केवल 19 वर्ष का था, यह गंभीर अनियमितताओं और

अवैधताओं और गिनती में त्रुटियों का परिणाम था। चुनाव याचिका के पैरा 7 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेहद अस्पष्ट थे, ना तो उन खंडों का विवरण दिया गया था जिनमें मतदान की गणना की गई थी और ना ही उन तालिकाओं की संख्या का विवरण दिया गया था जिनमें मतगणना अधाकिरयों द्वारा त्रुटियां थी। जब गिनती की जा रही थी तब प्रतिवादी के एजेंटों द्वारा गणना अधिकारियों पर कोई शिकायत नहीं की गई थी और जो प्रतिवादी के अनुसार दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण थी। इस संकीर्ण अंतर को गंभीर अनियमितताओं और अवैधताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इस बिन्दू पर पैरा 7 में प्रतिवादी का बयान इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है:-

"घोषित परिणाम ना तो सही था और ना ही सही था। यह गंभीर अनियमितताओं और अवैधताओं गिनती में त्रुटियों का परिणाम था। इन परिस्थितियों में रिटर्निंग आफिसर को नियम 63 (3) के तहत वोटों की पुनर्गणना की अनुमति देनी चाहिए थी। चुनाव आचरण नियम, 1961"।

पैरा 8 में यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता एक पार्षद और मेचेरी पंचाय यूनियन का पूर्व अध्यक्ष था और मतगणना स्टाॅफ में बड़े पैमाने पर उपरोक्त यूनियन के कर्मचारी शामिल थे, जिनका रोजगार अपीलकर्ता के प्रति बकाया था। यह भी आरोप लगाया गया कि मतगणना कर्मी बैठे नहीं थे बल्क इधर-उधर घूम रहे थे। अपीलकर्ता का भाई, जो केन्द्रीय एजेंट था, हर समय सभी टेबलों के बीच घूम-घूम कर बातें कर रहा था और परेशान कर रहा था। इन गंभीर आरोपों के बावजूद प्रतिवादी या उसके एजेंट द्वारा मौंके पर मौजूद मतगणना कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं की गई। आगे आरोप लगाया गया कि कई बाहरी लोग, विशेष रूप से पे/मल, जो सलेम स्टील प्लांट के ठेकेदार और तालुक कांग्रेस कमेटी, मेडूर के कोषाध्यक्ष थे, लगातार हाॅल में बने रहे और रिटर्निंग आफिसर से बात कर रहे थे। इस प्रकार, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन निहितार्थ से, प्रतिवादी यह सुझाव देता प्रतीत हुआ कि रिटर्निंग अधिकारी पेरुमल से प्रभावित था।

चुनाव याचिका का पैरा 9 भी भयावह रूप से अस्पष्ट है जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"तीसरे राउंड के दौरान और टेबल नंबर 8 से 10, 13 पर गिनती विशेष रूप से दोषपूर्ण और असंतोषजनक और दोषपूर्ण थी।"

यह भी आरोप लगाया गया कि श्रीनिवास मतगणना के दौरान लगातार सेल्वराज के पास जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता के भाई श्रीनिवासन द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रभाव के संबंध में पैराग्राफ 9 में भी कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में किसी से कोई शिकायत नहीं की गई है और हम वर्तमान में यह दिखाएंगे कि आवेदन में भी जो प्रतिवादी ने रिटर्निंग आफिसर के समक्ष दायर किया था। चुनाव याचिका में प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

पैरा 11 में यह भी कहा गया कि मतगणना कर्मचारियों की ना तो उचित निगरानी की गई और ना ही उचित जांच की गई। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटों की कोई परीक्षण जांच या दोबारा जांच नहीं की गई। इसी तरह, याचिका में गिनती के तरीके और समय को लेकर भी कई अस्पष्ट आरोप लगाए गए थे विद्वान न्यायाधीश ने साक्ष्य लेने और पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद प्रतिवादी के मामले पर लगभग पूरी तरह से अविश्वास किया, लेकिन प्रतिवादी के मामले के केवल एक खंडित हिस्से को स्वीकार किया। जहां तक तथ्य यह है कि मतगणना कर्मचारी नींद में थे या शारीरिक रूप से थके हुये थे, इस बात का याचिका में जिक्र तक नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने पक्षों की दलीलों की जांच करने के बाद मामले में निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दे तय किएः

- "1. क्या युनाव याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार मतपत्रों की जांच और पुनर्गणना होनी चाहिए
- 2. क्या निर्वाचित उम्मीदवार, प्रथम प्रतिवादी, का चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है?
- 3. क्या चुनाव याचिकाकर्ता यह घोषण करने का हकदार है कि वह स्वयं विधिवत निर्वाचित हुआ है? और

4. किस राहत के लिए?

जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, न्यायालय के मुद्दे तय करने के बाद अपीलकर्ता द्वारा दायर दोषारोपण याचिका को खारिज कर दिया। प्रतिवादी द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण आरोप पर गणना के समय पेरुमल उपस्थित थे और मतगणना कर्मचारियों को परेशान कर रहे थे, इस पर विश्वास नहीं किया गया और विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"इस संबंध में इन गवाहों के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, मैं यह विचार करने के लिए इच्छुक हूं कि मतगणना हाॅल के अंदर पेरुमल की उपस्थिति स्थापित नहीं की गई है।"

इसी प्रकार, बाहरी लोगों को हाॅल में प्रवेश की अनुमति देने का आरोप भी इस प्रकार अविश्वसनीय था:-

"पुनर्मतगणना की याचिका में भी ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अनाधिकृत व्यक्तियों को मतगणना हाॅल में प्रवेश की अनुमित की गई थी और इससे मतगणना के परिणाम प्रभावित हुए। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव संचालन नियमों के नियम 53 का कोई उल्लंघन नहीं है, 1961 जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है।"

इस आधार पर की कोई परीक्षण जांच या संदिग्ध वोटों की उचित जांच नहीं की गई थी, को भी विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और उन्होंने माना कि ये आरोप स्थिपत नहीं हुये थे। इस आरोप के संबंध में कि अपीलकर्ता हाॅल में घूम-घूम कर खुलेआम घोषणा कर रहा था कि चुनाव जीतने के लिए कुछ वोटों की आवश्यकता है, साबित नहीं हुआ। विदवान न्यायाधीश ने इस प्रकार कहाः

"इसिलए, उसका विचार है कि आर.डब्ल्यू.1 के खिलाफ लगाए गए आरोप में कोई सच्चाई नहीं है कि वह खुले तौर पर घोषणा करके हाॅल में घूम रहा था कि चुनाव जीतने के लिए पहले प्रतिवादी को केवल कुछ वोटों की आवश्यकता थी"

रोशनी की कमी के संबंध में न्यायाधीश ने पाया कि 7 ट्यूब लाइटें थी और प्रतिवादी की यह शिकायत की गिनती करने वाले कर्मचारियों को अपना काम करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं थी, स्पष्ट रूप से एक बाद की सोच थी। इस संबंध में विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

"इस पहलू पर पेश किए गए सब्तों का विश्लेषण करने के बाद मेरा विचार है कि यह शिकायत पूरी तरह से बाद में की गई शिकायत है। यदि वास्तव में रोशनी खराब थी, तो

ना केवल याचिकाकर्ता बल्कि अन्य सभी उम्मीदवारों ने पहली बार भी रिटर्निंग आफिसर से शिकायत की होती।

इसी प्रकार, मतगणना हाॅल में कथित शोर और अव्यवस्था के संबंध में न्यायाधीश ने मना कि इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था।

प्रतिवादी द्वारा पक्षपात का एक और गंभीर आरोप लगाया गया था कि अधिकांश गिनती कर्मचारी सीधे अपीलकर्ता से जुड़े हुये थे, इस पर भी विश्वास नहीं किया गया और न्यायाधीश ने इस प्रकार कहाः

"भले ही याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए तथ्य सही हो कि कुछ गिनती कर्मचारियों की नियुक्ति पहले प्रतिवादी को दी गई थी और वे पंचायत संघ परिषद में काम कर रहे थे जिसमें पहला प्रतिवादी अध्यक्ष था, यह स्वचालित रूप से सबूत नहीं होगा पक्षपात के आरोप का। यह पक्षपात के आरोप का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार यह बताया गया है कि किसी भी पार्टी के लिए पूर्वाग्रह या पक्षपात के साथ मतगणना कर्मचारियों को कलंकित करना आसान है, जो एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देता है और वह न्यायालय को हताश और पराजित उम्मीदवारों द्वारा मतगणना अधिकारियों पर फेंके गए पक्षपात के

कीचड़ पर त्वरित विश्वनीयता देने में अनिच्छुक होना चाहिए।"

एकमात्र आधार जो विद्वान न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया प्रतीत होता है, वह यह था कि यद्यपि पहले दो राउंड में किसी भी अनियमितता के होने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, लेकिन संभावना थी कि कर्मचारी पूरी तरह से समाप्त हो गये थे और इसके कारण हो सकता है वोटों की गलत छंटाई और गिनती। ऐसा इसलिए था, क्योंकि विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, कर्मचारियों ने 14-06-77 को सुबह 11 बजे अपना काम शुरू किया और 15-06-77 को लगभग 3 बजे तक बिना आराम किए काम करना जारी रखा। उन्हें 14-06-77 की दोपहर में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया। न्यायाधीश ने यह भी पाया कि मतगणना कर्मचारियों को रात में भोजन नहीं दिया गया था, बल्कि केवल शाम 7 बजे चाय उपलब्ध कराई गई थी। इस संबंध में, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नान्सार टिप्पणी की:-

"याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया अगला आधार यह है कि मतगणना कर्मचारी तीसरे दौर के दौरान नींद में थे, थके हुए थे और सतर्क नहीं थे, जो आधी रात के बाद शुरू हुआ और अगले दिन सुबह 3 बजे पूरा हुआ और इस तरह गलत छँटाई की निश्चित संभावना है और उस दौर के दौरान वोटों की गिनती। लगभग सभी याचिकाकर्ताओं के

गवाहों ने कहा है कि 14-06-1977 को स्बह 11 बजे प्रारंभिक गिनती का काम शुरू करने वाले मतगणना कर्मचारी अगले दिन स्बह 3 बजे तक बिना किसी आराम के काम करते रहे। उन्हें केवल 14-06-1977 की दोपहर को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया थाः मतगणना कर्मचारियों को रात के दौरान भोजन की आपूर्ति नहीं की गई थी, उन्हें शाम 7 बजे केवल चाय प्रदान की गई थी और इसलिए गिनती कर्मचारी पूरी तरह से थक गये थे और विशेष रूप से बाद में नींद में थे। आधी रात और वे उतने सतर्क और सतर्क नहीं थे जितने पहले और दूसरे दौर की गिनती के दौरान थे। सभी प्रथम उत्तरदाताओं के गवाहों ने यह भी स्वीकार किया कि गिनती के कर्मचारियों को रात में भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 7 बजे चाय की आपूर्ति की गई थी। पीएम और उन्होंने अगले दिन स्बह 3 बजे तक बिना किसी ब्रेक के गिनती जारी रखी। हालांकि याचिकाकर्ता ने तीसरे दौर के दौरान गलत छंटाई और वोटों की गिनती का कोई विशिष्ट उदाहरण स्थापित नहीं किया है, याचिकाकर्ता की और से पेश किए गए सबूतों के साथ-साथ दलीलों में भी सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ता के कथन में काफी दम प्रतीत होता है।"

सबसे पहले यह खोज पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है। यह स्पष्ट है कि च्नाव एक तकनीकी मामला होने के कारण अधिकारी गिनती के लिए अन्भवी व्यक्तियों को च्नते हैं और इस बात का हर संभव ध्यान रखते हैं कि स्टाॅफ के सदस्य कोई त्रृटि न करें। इसके अलावा केवल त्रृटि होने की आशंका पर दोबारा गिनती की राहत स्वीकार नहीं जा सकती। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐस आरोप न केवल स्पष्ट रूप से लगाए जाने चाहिए बल्कि ठोस सबूतों पर साबित भी होने चाहिए। न्यायाधीश स्वयं मानते हैं कि प्रतिवादी ने गलत छंटाई का कोई विशिष्ट उदाहरण स्थापित नहीं किया है और दलीलों के साथ-साथ सब्तों में भी लगाए गए आरोप सामान्य हैं, फिर भी वह ऐस अपर्याप्त और कमजोर सबूतों पर प्रतिवादी के मामले को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी के गवाह पी.डब्ल्यू.23 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पहला दौर शाम 5 बजे शुरू ह्आ और लगभग ८ः:30 बजे समाप्त ह्आ, दूसरा दौर रात 9 बजे शुरू हुआ और रात 1 १ः:30 बजे समाप्त हुआ और तीसरा दौर 12 बजे शुरू हुआ आधी रात और 2 बजे समाप्त हुई। जिरह में गवाह से पूछा गया कि क्या उसने मौके पर मौजूद मतगणना कर्मचारियों से शिकायत की थी और गवाह ने स्वीकार किया कि जब उसने गलती बताई तो गिनती कर्मचारियों द्वारा इसे ठीक कर दिया गया था। राउंड के समय से ऐसा

प्रतीत होता है कि तीन राउंड के बीच पर्याप्त अंतराज था, और इसिलए, कर्मचारियों के थकने और थकने का सवाल ही नहीं उठता। इसिलए, विद्वान न्यायाधीश का यह निष्कर्ष साक्ष्य के महत्व के विरुद्ध है और इसे कानूनी रूप से समर्थत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि दोबारा गिनती का आदेश त्रुटियों की संभावना पर नहीं, बल्कि तब दिया जाना चाहिए जब मामला पूर्ण निश्चितता के साथ साबित हो जाए। इसी तरह, विद्वान न्यायाधीश का अनुमान है कि बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम किया गया है और इस प्रकार देखा गया है:-

"मतगणना कर्मचारियों की और से शारीरिक परिश्रम की संभावना को खारिज करना संभव नहीं है, खासकर आधी रात के बाद जब तीसरे दौर की गिनती हुई थी। वोटों में न्यूनतम अंतर को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाना आवश्यक हो गया है कि क्या मतगणना कर्मचारियों द्वारा तीसरे दौर को गिनती ठीक से की गई। चीजों की प्रकृति को देखते हुए यह मानना संभव नहीं है कि सभी 72 व्यक्ति सतर्क थे और उन्होंने उत्सुकता के साथ गिनती की प्रक्रिया में भाग लिया जितनी चाहिए थी।"

यह निष्कर्ष भी शुद्घ अटकलों पर आधारित है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। अंत में, विद्वान न्यायाधीश इस तथ्य से बहुत प्रभावित हुए कि जिस अंतर से अपीलकर्ता सफल हुआ वह बहुत कम था। यह निस्संदेह विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक था, लेकिन यह अपने आप में वोटों की गिनती को खराब नहीं करेगा या न्यायालय द्वारा दोबारा गिनती को उचित नहीं ठहराएगा।

हम यहां यह उल्लेख करना चाहेंगे कि वास्तव में प्रतिवादी ने पुनर्गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष एक आवेदन किया था, लेकिन प्रतिवादी द्वारा दायर वास्तविक आवेदन प्रतिवादी को बेहतर ज्ञात कारणों से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अनुलग्नक 2 से यह प्रतीत होता है कि रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति है कि प्रतिवादी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष तीन आधार रखे गये थे। सबसे पहले, उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया कि नारायणन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष तीन आधार रखे गये थे। सबसे तीन आधार रखे गये थे। सबसे पहले, उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया कि नारायणन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष तीन आधार रखे गये थे। सबसे पहले, उन्होंने अपना संदेह व्यक्ति किया कि नारायणन (कांग्रेस) और अन्य उम्मीदवारों से संबंधित वोटों को मिलाया गया हो:

- (ii) कि उनके पक्ष में डाले गए कई वोट खारिज कर दिये गये थे,
- (iii) पोस्टल बैलेट को पर्याप्त के बिना खारिज कर दिया गया था कारण इस प्रकार यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील डाॅ. चितले के तर्क का मुख्य मुद्दा यह था कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सब्त थे कि तालिकाओं 2, 3, 7, 9,

12, 15, 17 में कई गिनती संबंधी त्र्टियां थी। 8, 10, 13 विशेष रूप से टेबल 2, 3, 6, 8, 9, 10 और 13 पर जोर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी एजेंटों द्वारा मतदान कर्मचारियों के विरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। दरअसल, अगर ऐसा था तो हमें प्रतिवादी द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिए गए आवेदन में प्रमुखता से लगाए गए ऐस आरोप को स्वीकार कर लेना चाहिए था। रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रतिवादी के आवेदन में ऐस किसी भी आरोप की अन्पस्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह आरोप स्पष्ट रूप से बाद में सोचा गया था और इसलिए, अदालत के समक्ष प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य पर कोई अंतर्निहित निर्भरता नहीं रखी जा सकती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उठाए गए सभी तीन आधार बिल्क्ल अस्पष्ट थे और रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्नर्मतगणना के लिए कोई मामला नहीं बनाया जा सकता था और अदालत द्वारा तो दूर की बात थी। यह नोट करना प्रासंगिक हो सकता है कि प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में इस प्रश्न का भी उल्लेख नहीं किया गया था कि अपीलकर्ता बह्त कम अंत से सफल ह्आ। इस आवेदन पर रिटर्निंग आफिसर ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"उपरोक्त परिस्थितियों में उन्होंने अनुराध किया कि पुनर्मतगणना का आदेश दिया जाए और न्याय दिया जाए। उम्मीदवार, उनके चुनाव और मतगणना एजेंट गिनती की प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे और गिनती के दौरान किसी भी गलती के संबंध में उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति या शिकायत नहीं की थी। उनके द्वारा व्यक्त किया गया संदेह की उनसे संबंधित कई वोट नारायण और अन्य उम्मीदवारों से संबंधित वोटों में शामिल किए गए होंगे, निराधार है और इसलिए सही नहीं है। मेरे द्वारा उम्मीदवारों की उपस्थिति में सभी संदिग्ध वोटों की जांच की गई और उनके एजेंटों और आदेश पारित किए गए। उनका यह कथन कि उनके पक्ष में कई वोट खारिज कर दिए गए थे, सही नहीं है क्योंकि जांच उनकी उपस्थिति में की गई थी। उन्होंने प्नर्मतगणना के लिए राउंड या टेबल के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने अन्राेध किया है इस अन्मान के तहत कि उसके मतपत्र अन्य बंडलों में मिला दिए गए होंगे, सभी उम्मीदवारों के लिए डाले गए सभी वोटों की सामान्य रूप से प्नर्गणना की जाएगी।"

उनकी याचिका तुच्छ और अनुचित है इसलिए अनुराेध का यह भाग अस्वीकार किया जाता है।'

इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और जबिक विद्वान न्यायाधीश ने इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया था, वह

उन्हें इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सही ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं। राम सेवक बनाम हुसैन कामिल. (1964) 6 एससीआर 238 के मामले में पूर्मतगणना के पश्न पर इस न्यायालय ने इस प्रकार बताया:-

"लेकिन चुनाव न्यायाधीकरण मतपत्रों के संबंध में अधिकार के बिना नहीं है। एक उचित मामले में जहां न्याय के हित इसकी मांग करते हैं, न्यायाधिकरण रिटर्निंग अधिकारी को मतपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और निरीक्षण की अनुमित दे सकता है मतपत्रों से पहले पार्टियां।"

"निरीक्षण का आदेश स्वाभाविक रूप से नहीं दिया जा सकता है: मतपत्रों की गोपनीयता पर जाेर देने के संबंध में अदालत काे निरीक्षण के लिए आदेश देना उचित होगा, बशर्ते दो शर्ते पूरी होंः

- (i) चुनाव को रद्द करने की याचिका में उन भाैतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल है जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है: और
- (ii) ट्रिब्यूनल प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

लेकिन भौतिक तथ्यों से समर्थित ना होने वाली याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने या एसी दलीलों का समर्थन करने के लिए सबूत निकालने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता का मामला भौतिक तथ्यों के आधार पर सटीकता से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए मामले को स्थापित करने के लिए, यदि न्याय के हित में आवश्यकता हो, तो निःसंदेह निरीक्षणक का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन केवल यह आरोप की याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।"

"इसलिए एक उम्मीदवार जो इस आधार पर चुनाव को चुनौती देना चाहता है कि गिनती के समय वोटों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया, उसके पास मतपेटियों की जांच और खोले जाने के तरीके से खुद को परिचित करने का पर्याप्त अवसर है, और वोटों की गिनती की गई। उनके पास अस्वीकृत मतपत्रों का निरीक्षण करने और पुनर्गणना की मांग करने का भी अवसर है। यह धारा 83(1) के प्रावधानों के आलोक में है, जिनके लिए भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता होती है, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और पराजित उम्मीदवार को मतगणना के समय, देखने और पुनर्मतगणना का दावा

करने का अवसर मिला कि निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।"

इसी आशय का डाॅ. जगजीत सिंह बनाम ज्ञानी करतार सिंह, एआईआर 1966 एससी 773 के मामले में इस न्यायालय का एक बाद का निर्णय है। जीतेन्द्र बहादुर सिंह बनाम कृष्ण बिहारी, (1970) 1 एससीआर 852 के मामले में इस न्यायालय में निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"वर्तमान मामले में, कुछ आंकडे सही या काल्पनिक देने के अलावा, याचिकाकर्ता ने याचिका में उस आधार पर खुलासा नहीं किया है जिसके आधार पर वह उन आंकडों पर पहुंचे। उनका दावा है कि उन्हें ये आंकड़े/कांग्रेस उम्मीदवार के मतगणना एजेंटों से मिले थे। आवश्यक आधार नहीं दे सकते। उन्होंने याचिका में यह नहीं बताया कि वे श्रमिक कौन थे और उनकी जानकारी का आधार क्या है? यह उनका मामला नहीं है कि उन्होंने कोई नोट बनाए रखा था या उन्होंने उनके नोट्स की जांच की थी, यदि कोई थे। समग्री बताए जाने वाले आवश्यक तथ्य वे तथ्य है जिन्हें लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री के रूप में माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे ऐस तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान कर सके।"

"ट्रायल कोर्ट सही ढंग से इस निष्कर्ष पर पहुंचा की मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश देने से पहले उसे प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होना चाहिए कि विवाद का फैसला करने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण करना आवश्यक है। आवश्यक इसने यह तो कहा कि वह बहुत संतुष्ट है, लेकिन उसने कोई कारण नहीं बताया कि वह कैसे संतुष्ट हुआ। एक न्यायाधीश को केवल सबूत के आधार पर संतुष्ट किया जा सकता है, केवल आरोपों के आधार पर नहीं।"

इंग्लैण्ड के हेल्सबरीज लाॅज (खंड 14 पृष्ठ पैराग्राफ 599) में, यह देखा गया है:

"पुनर्गणना अधिकार के रूप में नहीं दी जाती है, बल्कि यह विश्वास करने के अच्छे आधारों के आधार पर दी जाती है कि रिटर्निंग आफिसर की और से कोई गलती हुई है।"

इसी प्रकार फ्रेजर ने अपने संसदीय चुनावों और चुनाव याचिकाओं के कानून में पुष्ठ पर 222 इस प्रकार देखा गया:-

> "मतपत्रों या काउंटर-फाॅल्स के निरीक्षण के लिए आदेश प्राप्त करने से पहले हलफनामे पर एक मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए"।

बलदेव सिंह बनाम तेजा सिंह, (1975) 3 एससीआर 381 के मामले में कृष्ण अरूयर, जे. ने न्यायालय की और से बोलते हुए इस प्रकार कहा:-

"अपमानजनक कथन न्यायिक पुनर्गणना की संभावनाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं और किसी फैसले या अन्य में सुझाई गई

आवश्यकताओं के अनुपालना के लिए अपकरण के रूप में खारिज कर दिए जाएंगे।"

''जहां अंतर का अंतर न्यूनतम है, वहां नई गिनती के दावे को निरर्थक या झूंठा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।"।

"अगर किसी टेबल पर औपचारिक दोषों को पर्याप्त कमजोरियों के रूप में गलत समझा गया था, या इसके विपरीत जिसके परिणामस्वरूप गलत स्वागत या अस्वीकृति ह्ई थी, तो जितनी जल्दी इसे ठीक किया जाएगा उतना बेहतर होगा, खासकर ब जब मौके पर दूसरे निरीक्षण के लिए अन्रोध किया गया हो। कई व्यावहारिक परिस्थितियां कानूनी गलतफहमियां परिणाम की कानूनी अंकगणितीय सटीकता को ईमानदारी से प्रभावित कर सकती हैं और निर्धारित या थकावट को नए सिर से बाधित नहीं करना चाहिए, आंशिक हाे सकता है, जांच। बेशक, प्नर्गणना के लिए निराधार या मनगंढत दावे या निरीक्षण के लिए मनगढंत आधार या विशिष्ट शिकायतें अंतर बह्त अधिक होने पर गिनती में गलतियां पुनर्गणना की तुच्छ और अन्चित मांगों के स्पष्ट मामले हैं। मतगणनाक र्मचारियोां पर दुर्भावनापूर्ण आक्षेप या वोटों की वैधता के बारे में झूठी और अस्थिर आपित्तयां भी उसी श्रेमणी में आती है। हमारा मतलब उदाहरणाात्मक होना है, संपूर्ण नहीं, लेकिन उचित मामले में, रिटर्निंग अधिकािरयों द्वारा पुनः जांच और पुनर्गणना में उचित रूप से उदार होने की आवश्यकता को रेखांकित करे। आखिरकार, मतदान में निष्पक्षता न केवल प्रकट होनी चाहिए, बल्कि प्रक्रिया के बारे में गलतफहमी काे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। दरअसल, अधिकारियों को दिए गए निर्देश काफी स्पष्ट है और ठोस दिशानिर्देश देते हैं।"

इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कृष्णा अय्यर, जे. की टिप्पणी पर भरोसा किया गया था कि जहां अंतर का अंतर न्यूनतम है, वहां ताजा मतदान के दावे को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, यह टिप्पणी वास्तव में रिटर्निंग आफिसर के लिए थी क्योंकि जिस समय रिटर्निंग आफिसर को पूनर्मतगणना के लिए अनुरोध किया जाता है, उस समय चुनावी प्रक्रिया जारी रहती है और यदि गिनती में कोई बृटि होती है तो उन्हें चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ठीक किया जा सकता है। पूरा। हालांकि यह चुनाव याचिका पर विचार करते समय न्यायालय पर लागू नहीं होगा। हमारे देश में चुनाव एक बेहद महंगी प्रक्रिया है और जब तक पुनर्मतगणना का बहुत स्पष्ट मामला सामने नहीं आता, उम्मीदवारों को अनावश्यक परेशानी और खर्च नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, राम औतार सिंह बनाम राम गोपाल सिंह (1976) 1 एससीआर 191 के मामले में इस न्यायालय ने, जिसमें कृष्णा अय्यर, जे. स्वयं एक पक्ष थे, कहाः

"उपरोक्त बिन्दु पर कानून होने के नाते, यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश में चुनाव में डाले गये कोई वोटों के सामान्य निरीक्षण और पूनर्गणना का आदेश देने में गलती की थी, केवल इसलिए क्योंकि इन अतिरिक्त दलीलों में रिटर्निंग उम्मीदवार ने भी आरोप लगाया था, गलत स्वागत और वोटों की अस्वीकृति पर वोटों की गलती गिनती की शिकायत की। इस स्तर पर दलीलों की जांच लौटे उम्मीदवार द्वारा दायर की गई दोषारोपण याचिका में भी नहीं की जा सकी। वे याचिकाकताओं के मामले की जांच के दायरे से बाहर थे जो (जैसा कि) याचिका के पैरा 11 में स्थापित) अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iii) के अंतर्गत आता है।"

इसी प्रकार चंदा सिंह बनाम चौधरी शिव राम वर्मा (सिविल अपील संख्या 1185/1973 का फैसला 19-12-1974) के मामले में: (एआईआर 1975 एससी 403 में रिपोर्ट किया गया) इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा:- "लोकतंत्र समय-समय पर और श्द्घ च्नावों के पहियों पर स्चारू रूप से चलता है। रिटर्निंग अधिकारियों दवारा घोषित च्नावों के फैसले से सरकारों का गठन होता है। च्नावी प्रक्रिया में एक निश्चित मात्रा में स्थिरता आवश्यक है। यदि मतपत्रों की गिनती होती है अदालतों द्वारा बह्त बार-बार और अनियमित पुनर्गणना के हस्तक्षेप के कारण न्यायिक उपकरण के माध्यम से एक नई प्रणाली श्रू की गई है। इसके अलावा, यदि वोटों की प्नर्गणना आसान हो जाती है, तो मतपत्र की गोपनीयता, जो पवित्र है, हानिकारक प्रार्थना के संपर्क में आ जाती है। सामान्य प्रतिक्रया, यदि होती है क्या इस म्दे पर न्यायिक छूट है, यह भाग्यहीन उम्मीदवारों पर एक नया दबाव हो सकता है, खासकर जी जीत का अंतर केवल कुछ सौ वोटों का हो, तो दोबारा गिनती की मांग की जाए। मतपत्रों की अवैध असवीकृति या स्वागत। यह एक खतरनाक भटकाव की और ले जा सकता है जो घोषित रिटर्न को फिर से खोलने के लिए व्यापक ग्ंजाइश को इंजेक्ट करके लोकतांत्रिक आदेश पर आक्रमण करता है, जब तक कि न्यायालय मिसकाउंट या अवैधता या न्याय की अन्य मजबूरियों की वास्तविक आशंका के मामलों में पुनर्गणना के सहारा को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस तरह के कठोर कदम की आवश्यकता है।"

बेलीराम भलाइक बनाम जय बिहारीलाल खाची (1975) 4 एससीसी 417 के मामले में इस न्यायालय ने फिर से उन्हीं सिद्घांतों को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:-

"उम्मीदवार का एक सनकी और गंजा बयान कि वह गिनती से संतुष्ट नहीं है, नियम 63(2) के चिंतन के भीतर "आधार" के बयान के बराबर नहीं है। इस प्रकार आवेदन की नजर में उचित आवेदन नहीं था कानून। इसे गिनती में किसी भी अनियमितता के संबंध में लेखक या उसके किसी एजेंट के पूर्ववर्ती या समसामयिक मौखिक बयान द्वाराभी पूरक नहीं किया गया था। इसे नियम 63 के उप-नियम (3) के तहत भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जा सकता था।"

"हालांकि सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कच्चा लोहा नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है या निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर दाे व्यापक दिर्शानिर्देश समझ में आते है; कि पुनर्मतगणना का आदेश देना या मतपत्र के निरीक्षण की अनुमति देना न्यायालय के लिए उचित होगा। कागजात केवल वहीं हैं जहां (i) सभी भौतिक तथ्य जिन पर गिनती में अनियमितता या अवैधता के आरोप स्थापित है, चुनाव याचिका में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किए गए हैं और (ii) याचिका की सुनवाई करने वाला न्यायालय/न्यायाधिकरण प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का निर्णय करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए ऐसा आदेश अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

अंत में, जिन परिस्थितियों के तहत पुनर्मतगणना का आदेश दिया जा सकता था, उस विषय पर संपूर्ण केस कानून को इस न्यायालय द्वारा भाभी बनाम शेऔ गोविन्द 1975 सिंप्लिमेंट एससीआर 202 के मामले में पूरी तरह से संक्षेपित और सूचीबद्घ किया गया था, जिनमें हम में से एक (फजल अली) जे.) एक पार्टी थी और जिसे इस प्रकार निकाला जा सकता है:-

"न्यायालय द्वारा मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश केवल तभी उचित होगा जबः

(1) चुनाव याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल है जिन पर गिनती में अनियमितता या अवैधता के आरोप आधारित है

- (2) प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ऐस आरोप प्रथम हष्टया स्थापित होते हैं, जिससे यह मानने का अच्छा आधार मिलता है कि गिनती में गलती हुई; और
- (3) याचिका पर सुनवाई करने वाली अदालत प्रथम हष्टया संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए ऐसा आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।"

इस प्रकार, उपर उल्लेखित अधिकारियों से निकाले गए सिद्घांतों और पक्षों द्वारा इस मामले में दिए गए सब्तों पर विचार करने पर, हम संतुष्ट है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें विद्वान न्यायाधीश द्वारा पुनर्मतगणना का आदेश दिया जाना चाहिए था।

इन कारणों से,1978 की सिविल अपील संख्या 524 को सभी लागतों खर्चों के साथ अनुमित दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द करने और प्रतिवादी को निर्वाचित घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामले को देखते हुए हमारे द्वारा 1978 की सिविल अपील संख्या 524 में पारित आदेश के मद्देनजर 1978 की सिविल अपील संख्या 588 में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रजनीश (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
